

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र क्रय करने हेतु अधिकतम रु. 3500.00 का अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में इस योजनान्तर्गत 120 व्यक्तियों को लाभान्वित कर कुल रु. 4.62 लाख की धनराशि का व्यय किया गया है। वर्ष 2010-11 में रु. 12.19 लाख की धनराशि व्यय कर 307 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

### 23) विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना :

कक्षा 1 से स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु निम्न दरों एवं मानकों के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है:-

वर्ग	छात्रवृत्ति के मानक			अवधि (अधिकतम)
	कक्षा	दर प्रतिमाह	माता-पिता की आय सीमा	
विकलांग विद्यार्थी	1-5	रु. 50 / -	अधिकतम रु0 2000 / - प्रतिमाह	12 माह
	6-8	रु 80 / -	अधिकतम रु0 2000 / - प्रतिमाह	12 माह
	9-10	रु170 / -	अधिकतम रु0 2000 / - प्रतिमाह	12 माह

छात्रवृत्ति के मानक				अवधि (अधिकतम)
पाठ्यक्रम	दर प्रतिमाह		माता-पिता की वार्षिक आय सीमा	
	हास्टलर	डेस्कालर		
1.इण्टर	रु0140 / -	रु 85 / -	अधिकतम रुपये 24,000 / - तक वार्षिक आय।	प्रवेश की तिथि से पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा के माह तक (पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश माह की 20 तारीख के बाद हुआ है तो अगले माह से छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी )
2.स्नातक पाठ्यक्रम	रु0180 / -	रु0125 / -		
3.स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम	रु0240 / -	रु0170 / -		

विकलांग छात्र आर्थिक विषमताओं के कारण शिक्षण/प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उनका जीवन यापन स्वावलम्बी नहीं बन पाता है. अतः ऐसे छात्रों को इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति देकर शिक्षा के माध्यम से स्वावलम्बी बनाया जाता है. ताकि वे शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करके समाज में सम्मानपूर्ण जीवन यापन कर सकें। वर्ष 2009-10 में इस योजनान्तर्गत रु. 37.65 लाख की धनराशि व्यय कर 2824 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में रु. 38.15 लाख की धनराशि व्यय कर 3583 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।



24) विभिन्न श्रेणी के निराश्रित विकलांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान : योजना के मानक व दरें :

- अभ्यर्थी की विकलांगता कम से कम 40 प्रतिशत होने का प्रमाण-पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया हो।
- अभ्यर्थी की आय का कोई साधन न हो।
- अभ्यर्थी का पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का है, किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो, तो ऐसे अभ्यर्थी भरण-पोषण अनुदान के पात्र होंगे।
- विकलांग भरण पोषण अनुदान की रुपये 600/- प्रतिमाह की दर से दी जायेगी।
- कुष्ठ रोग से मुक्त विकलांगों को रुपये 1000/-प्रतिमाह की दर से दी जायेगी।



- गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 65 वर्ष तक आयु के 80% विकलांग अथवा बहु विकलांगता वाले अभ्यर्थी को रुपये 400.00 राज्य सरकार तथा रुपये 200.00 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजनान्तर्गत अनुदान दिया जायेगा।



प्रदेश में दृष्टिबाधित, मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग निराश्रित ऐसे व्यक्तियों को जिनका जीवन यापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, जिससे उनका भरण पोषण हो सके, को भरण पोषण हेतु रु. 600/-प्रतिमाह अनुदान दिया जा रहा है। विकलांग भरण पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में 42358 व्यक्तियों को लाभान्वित कर कुल रु. 1964.35 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में रु. 3189.09 लाख की धनराशि व्यय कर 45571 विकलांग व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

## 25) दक्ष निःशक्तजन एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार

प्रदेश के उत्कृष्ट विकलांग कर्मचारियों, स्वतः रोजगार में रत विकलांग व्यक्तियों, विकलांग सेवायोजकों तथा प्लेसमेंट अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार देने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को उनके उत्कृष्ट सेवा के लिये राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरित किये जाते हैं। वर्ष 2009-10 में उक्त योजनान्तर्गत 23 विकलांगजनों को पुरस्कृत कर रु. 3.34 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में रु. 10.00 लाख की धनराशि व्यय कर 53 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

## 26) निःशक्तजनों हेतु शिविरों/सेमिनारों का आयोजन :

निःशक्तजनों को उनकी सुविधानुसार उनके निकटवर्ती ग्राम पंचायत/न्यायपंचायत स्तर पर पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु शिविरों एवं सेमिनारों का आयोजन किये जाने की व्यवस्था की जाती है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में इस योजनान्तर्गत रु0 1.50 लाख का व्यय कर 18 शिविर आयोजित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2010-11 में रु0 26.01 लाख की धनराशि व्यय कर 144 शिविर आयोजित किये गये हैं।

## 27) विकलांग युवक/युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान : योजना के मानक व दरें :-

- दम्पति भारत का नागरिक हो।
- दम्पति उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी हो या कम से कम पाँच वर्ष से उसका अधिवासी हो।
- दम्पति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो।